

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सू.रि.स 22 दिनांक 05.12.2016

2. अधिनियम पी.सी एक्ट 49/1988 धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं - - - - -

(क) घटना का दिन सोमवार दिनांक से दिनांक 05.12.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 05.12.2016 समय 02:50 पी.एम.

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 09 समय 03:00 पी.एम.

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया स्पेशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) जानिब पूर्व लगभग 40 कि०मी०

(ख) पता:-

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम)- सैक्टर 7 फरीदाबाद जिला फरीदाबाद

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) नाम : ललित सिरोही (ख) (पिता/पति का नाम) श्री शिवराम

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं०

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) (पता) ललित S/O शिवराम सिरोही R/O गांव सिही जिला फरीदाबाद

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. मुंशी राजबीर सिंह
पुलिस चौकी Sec. 8 जिला फरीदाबाद।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी निरीक्षक राजेन्द्र सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र फरीदाबाद बदस्त EASI रणवीर न० 2100/गुडगांव बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई, जिसका मजबूत जैल है, "श्रीमान जी Inspector Vigilance Faridabad निवेदन है कि मैं ललित सिरोही S/O शिवराम सिरोही निवासी चौधरी मौहल्ला ग्राम सिही फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और आस्ट्रेलिया मे नौकरी करता हूँ एवं मैंने वहा की नागरिकता भी ली

हुई है। मैंने अपना वीजा बढ़वाने के लिए F.R.O. Sector 21C में आवेदन किया था। जिसकी पुलिस वेरिफिकेशन थाना सैक्टर 8 फरीदाबाद में गई थी। वहां से हमारे गांव की पुलिस चौकी सैक्टर 8 फरीदाबाद में भी गई है। मैंने पुलिस वेरिफिकेशन से सम्बन्धित सभी कागजात वेरिफिकेशन कराने वाले अधिकारी को दे दिये थे। जो चौकी में तैनात मुंशी राजवीर सिंह ने कहा कि मुझे रिश्वत के लिए 500 रु देने पड़ेंगे, तभी तुम्हारी फाईल को आगे भेजूंगा। आज भी मैं अपनी फाईल निकलवाने के लिए चौकी गया था। लेकिन राजवीर सिंह ने कहा कि पहले रिश्वत के 500 रु दो तभी फाईल आगे करूंगा। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता। आपके पास कानूनी कार्यवाही कराने हेतु आया हूँ। मेरी दरखास्त पर कार्यवाही की जाये। मेरी उससे कोई जाती दुश्मनी या कोई लेनदेन नहीं है। प्रार्थी ललित सिरोही चौ0 मौहल्ला ग्राम सिही फरीदाबाद 8700041872, +61433737551" कार्यवाही पुलिस— इस समय मन निरीक्षक अपने कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो(ह0) Sec. 17 FBD में मौजूद हूँ कि इस समय ललित सिरोही s/o श्री शिवराम सिरोही निवासी चौधरी मौहल्ला गांव सिही फरीदाबाद ने हाजिर कार्यालय आकर एक दरखास्त बावत Sec. 8 पुलिस चौकी FBD के मुंशी राजवीर सिंह मुदई की पुलिस वैरिफिकेशन की एवज में 500 रु रिश्वत मांगने बारे पेश की है। जो मजबून दरखास्त से सरदेस्त जुर्म 7 PC ACT का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त EASI रणबीर सिंह न0 2100/GGN के थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव भेजा जा रहा है। बाद कायमी मुकदमा पर्चा न0 से सूचित किया जावे। स्पेशल रिपोर्ट स्पेशल वाहक द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट सहाब व अफसरान बाला को भिजवाई जावे। मन निरीक्षक ने एक रैडिंग पार्टी तैयार करके जिसमें SI रामबीर, कम्प्युटर ऑप्रेटर सोनू सिंह चालक EHC संदीप कुमार के सरकारी गाडी सूमो HR-55J 0333 के बराये कराने नियुक्त डियुटी मजिस्ट्रेट व छायागवाह रवाना उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद का होता हूँ। हस्ता— हिन्दी नि0 राजेन्द्र सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो(ह0) उपकेन्द्र फरीदाबाद दिनांक 05.11.16 AT 01:00PM अज— SVB Office Sec. 17 FBD अज थाना :- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा वा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया FIR की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई, जो सेवा में अफसरान बाला नियमानुसार भेजी जाएगी। एक पर्त FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मजिस्ट्रेट सहाब फरीदाबाद बदस्त EASI रणबीर सिंह 2100/GGN भेजी जा रही है। असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुंचाने हेतु इसी आरिन्दा EASI रणबीर सिंह 2100/GGN के हवाले की जा रही है।

Attest



हस्ता अग्रेंजी /— कुलवन्त सिंह

थाना प्रभारी का नाम

नाम : कुलवन्त सिंह

पद : निरीक्षक

सख्यां : 55/SR

दिनांक 05.12.2016 AT 04:15 PM

M